तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशिलस जज
04.05.2016	पत्रावली पेश हुई। वकील फरिकेन उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए पेश कर निवेदन किया गया कि चक 19ओ के मु0 नं0 39 के किला नं0 5 ता 1 की उतरी बट के साथ साथ 2-2 बिस्वा तथा मु0 नं0 40 के किला नं0 5 के पूर्वी कोना पर 1-1 बिस्वा पर रास्ता स्वीकृत किया जावे। इस संबंध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 19ओ की जमाबदी संवत 2070 ता 73 के खाता सं0 11 के मु0 नं0 38,39 बाग व 69 में 0.380 है0 खाला कुल 11.347 है0 प्रश्न सिंह पुत्र करतार सिंह ,0.139 है0 सन्तोष कौर पत्नी प्रश्न सिंह आदि के नाम से व खाता सं0 32 मे मु0 नं0 40,41 बाग व मु0 नं0 69/3 में 0.253 है0 खाला कुल 11.638 है0 भवनीत कौर पुत्री सर्वजीत सिंह 5.946 है0 के नाम से व मु0 नं0 35 में 6.325 है0 बाग कमलजीत कौर पत्नी जसजीत सिंह, डैनी दिलप्रीत सिंह आदि के नाम से व मु0 नं0 36 में 6.325 बाग सिमरजीत कौर पुत्री जगदीश सिंह के नाम से खातेदारी रिकार्ड दर्ज है। मौका जांच व मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के अनुसार मु0 नं0 39 के किला नयं0 1,2,3,4,5 में 2- 2 बिस्वा व मु0 नं0 40 के किला नं0 1,2,3,4,5 में 2 -2 बिस्वा मौके पर गैरमुमकिन खाला चल रहा है। मौके पर मु0 नं0 39 व 40 में कोई रास्ता नही है। मु0 नं0 40 के किला नं0 5 में एक कमरा निर्मित है। मु0 नं0 37 के किला नं0 1,10,11,20,21 व मु0 नं0 38 के किला नं0 1,10,11,20,21 में 2 -2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य विकल्प मु0 न0 36 के किला नं0 21 ता 25 अथवा 1 ता 5 से होकर भी रास्ता दिया जा सकता है। मु0 नं0 36 प्रार्थी की पुत्री के नाम रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते मु0 नं0 39 के किला नं0 1 से 5 में पहले से खाला चल रहा है। रास्ता स्वीकृत करने पर खाला बीच मे आयेगा। मु0 नं0 39 का रकबा पूर्व में किला नं0 21 ता 25 में 7-7 बिस्वा नहर एवं किला नं0 1 से 5 में 2-2 बिस्वा खाला कटा हुआ है।
	इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा जिस मु0 नं0 35 के लिए रास्ता चाहा गया है। वह रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज नही है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार मु0 नं0 39 व 40 में कोई रास्ता नही है। अन्य विकल्प के रूप में मु0 नं0 36 के किला नं0 21 ता 25 अथवा 1 ता 5 से रास्ता दिया जा सकता है जो कि मु0 नं0 36 प्रार्थी की पुत्री के नाम से दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ता मु0 नं0 39 के किला नं0 1 ता 5 में पहले से खाला चल रहा है। रास्ता स्वीकृत करने पर खाला बीच में आयेगा।
	उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी मु0 नं0 36 में से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर